



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh



IN-UP85754260637278V

e-Stamp

Stamp No. _____
ACC Name- SR. PANDRA ACC Code-UP1438650
ACC Address- Jansari Sadar Maharaajganj-221006
Jansari No.-4 Tehsil & District - Maharaajganj

Certificate No.

: IN-UP85754260637278V

Certificate Issued Date

: 30-Nov-2023 10:31 AM

Account Reference

: NEWIMPACC (SV)/ up1438650-1/ MAHARAJGANJ SADAR/ UP-MIH

Unique Doc. Reference

: SUBIN-UPUP1438650467245625079845V

Purchased by

: BHAGYASRI CHAUDHARI W O PANKAJ CHAUDHARY

Description of Document

: Article 64 (A) Trust - Declaration of

Property Description

: UJJAWAL CHAUDHARI EDUCATION TRUST

Consideration Price (Rs.)

:

First Party

: BHAGYASRI CHAUDHARI W O PANKAJ CHAUDHARY

Second Party

: Not Applicable

Stamp Duty Paid By

: BHAGYASRI CHAUDHARI W O PANKAJ CHAUDHARY

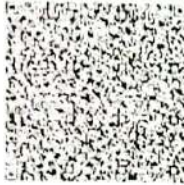
Stamp Duty Amount (Rs.)

: 4,440

(Four Thousand Four Hundred And Forty only)

LOCKED

SR. SADAR
MAHARAJGANJ



Shri. Sh. Chaudhary



Secretary

IRID 0016087318



Secretary

ट्रस्ट डीड

ऑफ

उज्जवल चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट

आज दिनांक नवम्बर, 2023 को मैं संस्थापक ट्रस्टी / मुख्य ट्रस्टी / अध्यक्ष श्रीमती भाग्यश्री चौधरी पत्नी श्री पंकज चौधरी निवासी— धनेवा—धनई, महाराजगंज, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश—273303, "उज्जवल चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट" के नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा करती हूँ। इस ट्रस्ट के लिए एक लाख ग्यारह हजार रुपये देती हूँ। यह राशि ट्रस्ट के उद्देश्यों पर व्यय की जायेगी। ट्रस्ट डीड में जो नियम एवं उपनियम निर्धारित किये गये हैं, उनके अनुसार तथा भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धाराओं के अनुसार ट्रस्ट संचालित होगा।

1. ट्रस्ट का नाम :— "उज्जवल चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट" होगा, जिसे न्यास पत्र में आगे "न्यास" अथवा "ट्रस्ट" शब्द से सम्बोधित किया गया है।
2. ट्रस्ट का पता :— ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय 'स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने, वार्ड नं०-11, सुकटिया, तहसील— महाराजगंज, उत्तर प्रदेश,—273303' होगा।
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र :— सम्पूर्ण भारत वर्ष तथा आवश्यकता पड़ने पर भारत वर्ष के बाहर भी विधि व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशों में भी न्यास का संचालन किया जा सकेगा।
4. ट्रस्ट का उद्देश्य :—
 - (क) ट्रस्ट के माध्यम से समाज व राष्ट्र की सेवा करना तथा वर्ग, समुदाय में प्रेम व एकता की भावना को उत्पन्न करना।
 - (ख) ट्रस्ट के माध्यम से समाज के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आदिवासी, वनवासी, विकलांग, अनाथ, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों, महिलाओं, काम काजी महिलाओं, परित्यक्ता एवं विधवा महिलाएँ एवं बालक—बालिकाओं के कल्याण एवं उत्थान के लिए शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, हैण्डिक्राफ्ट शिक्षा, हस्तशिल्प प्रशिक्षण एवं सेमिनार तथा स्वरोजगार शिक्षा केंद्रों की स्थापना करना और उनका संचालन करना तथा आर्थिक मदद करना एवं ऋण उपलब्ध कराना आदि।
 - (ग) ट्रस्ट के माध्यम से अनेक राज्यों में शिक्षा के प्रचार—प्रसार के लिए विद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, कृषि महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण, विधि शिक्षण संस्था, मेडिकल कॉलेज (ऐलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होमयोपैथ आदि) कृषि विज्ञान केन्द्र, पशु चिकित्सा, खेल—कूद अकादमी, फार्मेसी (ऐलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होमयोपैथ आदि) तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षण संस्थानों, प्रबंधन के संस्थानों की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।
 - (घ) भारतवर्ष के किसी भी जिले में विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय व विधिक रूप से स्थापित एवं अन्य विश्वविद्यालयों के अधीन व उससे सम्बद्धता प्राप्त कर विभिन्न संकाय के शिक्षण के बावत महाविद्यालय/कॉलेज की स्थापना करना अथवा उसका संचालन यू०पी० स्टेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 1973 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार करना तथा इस प्रकार संचालित महाविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार प्रशासनिक योजना तैयार करके विश्वविद्यालय के समक्ष अधिकारी से स्वीकृत कराना और स्वीकृत प्रशासन योजना के अनुरूप

Shruti Chatterjee





महाविद्यालय का संचालन करना।

- (ड^०) भारतवर्ष के सर्वांगीण कल्याण एवं उत्थान के लिए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से आवश्यक तकनीकी एवं प्रशिक्षण द्वारा भारत के अनेक राज्यों में केन्द्र स्थापित कर ज्ञान-विज्ञान का प्रचार करना।
- (च) भारतवर्ष में रहने वाले विभिन्न वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विशेष शिक्षण हेतु विदेशों में भेजने का प्रबंध करना तथा उनकी आर्थिक सहायता करना।
- (छ) ट्रस्ट के माध्यम से समाज में पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक केन्द्र, वृद्ध आश्रम, गुरुकुल, अध्यात्मिक उपासना केन्द्र, मंदिर योग साधना केन्द्र, धर्मशाला, महिला कल्याण आश्रम, बालक-बालिका कल्याण आश्रम, नशामुक्ति केन्द्र एवं अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
- (ज) राष्ट्रीय आपदा जैसे आतंकवादियों द्वारा उजाड़े गये परिवार, महामारी, भूकंप, सुनामी लहरों जैसी अन्य दुर्घटनाओं आदि राष्ट्रीय आपदा ग्रस्त बालक-बालिकाओं की शिक्षा के लिए कार्य करना तथा कमजोर वर्ग की महिलाओं, पुरुषों, बालक-बालिकाओं के भोजन, आवास, रोजगार आदि की व्यवस्था करना तथा उनकी आर्थिक मदद करना।
- (झ) भारतवर्ष में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षाविदों, कवियों, चिकित्सकों, साहित्यकारों, राजनीतिज्ञों, पत्रकार, अभिनेता, खिलाड़ी, वैज्ञानिक एवं समाजसेवियों को सम्मानित करना।
- (ञ) विदेशों में शिक्षा कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा विज्ञान एवं अन्य तकनीकी शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में नवीनतम जानकारी एवं अध्ययन सम्बन्धी कार्यकलापों का व्यवहारिक स्वरूप जानने के लिए विदेशों में प्रतिनिधि मंडल भेजकर भारत में नवीनतम ज्ञान-विज्ञान का प्रशिक्षण देना। विश्व की समस्याओं एवं विश्व कल्याण से सम्बन्धित विषयों पर राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करना। विश्व में प्रेम एवं भाईचारे को बढ़ाने के लिए उनकी संस्कृति तथा हमारी संस्कृति दोनों की संस्कृतियों से परिचित होने के लिए अपने प्रतिनिधियों को विदेशों में भेजकर और विदेशों के प्रतिनिधियों को भारत में बुलाकर भारतीय सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना और उनके रहने आदि सुविधाओं की व्यवस्था करना।
- (ट) भारतवर्ष में पानी की समस्या को देखते हुए जल संसाधन तथा जल संरक्षण के संदर्भ में कार्य करना।
- (ढ) भारतवर्ष के पर्यावरण के संरक्षण में उत्थान के लिए जड़ी-बूटियों, नालों, जल-स्रोतों, जंगली जीवों, वनस्पति और प्रकृति के अनेक वरदानों की रक्षा करना और उन्हें विकसित करना।
- (ठ) भारत की जनता में जागरूकता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया का संचालन करना, प्रशिक्षण शिविर, रैली, गोष्ठीयों तथा सम्मेलनों का आयोजन करना, जन चेतना हेतु पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा सत्साहित्य का निःशुल्क वितरण करना।
- (ड) ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दान, विदेशी सहायता, सरकारी व अर्धसरकारी सहायता, अनुदान, गिफ्ट, चल-अचल सम्पत्ति व अन्य सामग्री आदि प्राप्त करना।
- (ण) भारतवर्ष के ग्रामीण एवं शहरों में स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने लिए अनेक साधनों द्वारा सेवा कार्य करना तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, एलोपैथिक, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा आदि द्वारा पीड़ितों की सहायत करना। डिस्पेंसरी एवं

[Handwritten signature]

Page 2 of 8





उज्जयिनी बोधरी एजुकेशनल ट्रस्ट
महाराजगंज
Secretary

हॉस्पिटलों का निर्माण कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।

- (त) भारतवर्ष में भूमि को विकसित करना, किसानों को नई तकनीकियों से खेती कराना, कृषि फार्मों तथा डेरी फार्मों आदि केन्द्रों की स्थापना करना।
- (थ) भारतवर्ष में सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा शिविरों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सदभावना, सामाजिक समरसता के कार्य करना एवं जन चेतना उत्पन्न करना। हर उन कार्यक्रमों एवं कार्यों को करना, जिससे समाज का कल्याण एवं उत्थान हो।
- (द) भारतवर्ष में पशु-पक्षियों, जलचर, नभचर, जानवरों के कल्याण के लिए कार्य करना, उनके रहने तथा चिकित्सा का प्रबन्ध करना।
- (ध) अन्य संस्थाओं, ट्रस्टों और गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता करना, उनसे सहायता लेना और उनके साथ सहयोग करना तथा उनके साथ मिलकर भारतवर्ष के कल्याण एवं उत्थान के लिए कार्य करना। ट्रस्ट के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने के लिए कथाओं, सत्संग समारोह, यज्ञादि कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं इन कार्यक्रमों में जनता से दान एवं गुप्तदान की अपील करना। तत्पश्चात् आये हुए दान एवं गुप्तदान से संकल्पों को पूरा करने का प्रयास करना।
- (न) भारत के संविधान के अनुसार मानव अधिकारों की रक्षा करना एवं समाज में हो रहे अत्याचार, भ्रष्टाचार व अन्य सामाजिक बुराईयों के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करना तथा कार्यपालिका व न्यायपालिका की मदद से संविधान, कानून व नियमों एवं मानव मात्र के अधिकारों की रक्षा करना एवं न्यायालयों में जनहित याचिका के माध्यम से संविधान कानून व नियमों एवं राष्ट्र हितों की रक्षा करना।
- (प) आवश्यकतानुसार बीमार या असहाय ट्रस्टी/सदस्य की सहायता करना।
- (फ) ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल या अचल सम्पत्ति खरीदना, बेचना या समान उद्देश्यों वाले ट्रस्टी/संस्था को चल एवं अचल सम्पत्ति का दान देना आदि भी सम्मिलित है।
- जिन ट्रस्टियों को बोर्ड ऑफ ट्रस्ट में पदाधिकारी एवं सदस्यों के रूप में कार्य सौंपा गया है, उनके वर्तमान नाम व दायित्व निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	मुख्य ट्रस्टी श्रीमती भाग्यश्री चौधरी	धनेवा - धनई, तहसील - महाराजगंज, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश- 27 33 03	निजी व्यवसाय	अध्यक्ष
2.	श्री रोहन चौधरी	स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने, वार्ड नं.- 11, सुकटिया, तहसील-महाराजगंज, जिला - महाराजगंज, उ०प्र०- 273303	निजी व्यवसाय	सचिव
3.	श्रीमती तानिया चौधरी	स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने, वार्ड नं.- 11, सुकटिया, तहसील- महाराजगंज, जिला - महाराजगंज, उ०प्र०- 273303	निजी व्यवसाय	कोषाध्यक्ष
4.	श्री संजीत प्रधान	741-बी, कौआबाग, रेलवे बस्ती, रेलवे कॉलोनी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 273012	निजी व्यवसाय	सदस्य

5. ट्रस्ट सदस्यता एवं चुनाव सम्बन्धी नियम:-

- (क) ट्रस्ट में सभी आजीवन ट्रस्टियों को मिलाकर एक "साधारण सभा" कहलायेगी। साधारण सभा की

Signature

Page 3 of 8

Signature
Secretary



उपज्योतिष बोधरी एजुकेशनल ट्रस्ट
महाराजगंज
Secretary

बैठक प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् हुआ करेगी, जिसमें बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का गठन अध्यक्ष करेंगे। अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की बैठक कभी भी बुला सकते हैं। अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के आजीवन सदस्य रहेंगे। बोर्ड ऑफ ट्रस्ट चार सदस्यों का होगा, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक कोषाध्यक्ष और एक सदस्य होंगे। अध्यक्ष अपने जीवन काल में कभी भी अपना उत्तराधिकारी ट्रस्टियों में से घोषित करेंगे। अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र देने अथवा अध्यक्ष की अचानक मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट के सचिव ही अध्यक्ष होंगे तथा अध्यक्ष के समस्त उत्तरादायित्वों का निर्वहन करेंगे।

(ख) ट्रस्टियों की संख्या अधिक से अधिक चार तक हो सकती है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। वह व्यक्ति इस ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बनने के लिए लिखित रूप से ट्रस्ट द्वारा निर्धारित प्रपत्र भरकर जमा कराना होगा, तदनन्तर बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक में उसकी सदस्यता स्वीकार एवं अस्वीकार का निर्णय लिया जायेगा। सदस्यता स्वीकार करने पर उन्हें ट्रस्ट को 51000/- रुपये देय होंगे।

6. बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के अधिकार एवं कर्तव्य:-

(क) ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी व्यवस्थाओं की देखभाल करना।

(ख) ट्रस्ट की समस्त चल/अचल सम्पत्तियों को क्रय-विक्रय करने एवं गिरवी तथा दान देने का अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का होगा। क्रय-विक्रय गिरवी रखना तथा दान देने से सम्बन्धित सभी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार अध्यक्ष का होगा।

(ग) ट्रस्ट के वार्षिक आय व्यय को स्वीकृत करना।

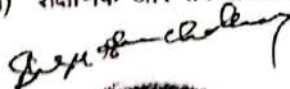
(घ) आजीवन ट्रस्टियों की सदस्यता को स्वीकार/अस्वीकार करना। बोर्ड ऑफ ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति के सदस्यता आवेदन की बिना कोई कारण बताए अस्वीकृत कर सकता है। ट्रस्ट का आजीवन ट्रस्टी बनने के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह बोर्ड ऑफ ट्रस्ट द्वारा सदस्यता के आवेदन को स्वीकृत किया गया हो।

(ङ) बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठकों में सभी प्रस्ताव बहुमत के आधार पर या सर्वसम्मति से स्वीकार/अस्वीकार किये जायेंगे।

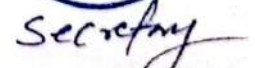
(च) ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार किये जा रहे कार्यों में आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति करने एवं उनके वेतन अथवा मानदेय (पारिश्रमिक) निश्चित करना और सेवाएँ समाप्त करने के लिए चयन समितियों का गठन करना, समितियों का गठन करने व परिवर्तन करने तथा भंग करने का अधिकार बोर्ड ऑफ ट्रस्ट को होगा।

(छ) भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार किये जा रहे कार्यों में राज्य के तत्सम्बन्धित विभागों द्वारा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार प्रबंध समितियों में ट्रस्ट के प्रतिनिधियों को नामित करना, उन्हें हटाना एवं उनके स्थान पर नये प्रतिनिधि नामित करना तथा भारतवर्ष में ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार किये जा रहे कार्यों के लिए प्रबंध समितियों का गठन करना एवं उनके अधिकार तथा कर्तव्यों का निर्धारण करना। प्रबंध समितियों में परिवर्तन करना तथा भंग करना। ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार भारतवर्ष में कार्यों के सुचारु रूप से संचालन के लिए विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यालयों की स्थापना करना।

(ज) शैक्षणिक और तकनीकी विषयों तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार किये जा रहे कार्य के लिए




Page 4 of 8



उज्जवला चौधरी एजुकेशनल
Secretary
महाराजगंज

वैतनिक अथवा अवैतनिक परामर्शदाता, निदेशक, सलाहकार, प्रबन्धक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना और उनका मानदेय (पारिश्रमिक) निश्चित करना।

7. बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1) अध्यक्ष:-

- (क) ट्रस्ट के सभी कार्यों और विषयों के समुचित निपटारे के लिए उत्तरदायी होंगे, वे उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो नियमों तथा उपनियमों द्वारा एवं साधारण सभा व बोर्ड ऑफ ट्रस्ट द्वारा उन्हें दी जायेगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष साधारण सभा व बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।
- (ख) साधारण सभा एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के विचारार्थ किसी भी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या समान होने पर उन्हें निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा और बोर्ड ट्रस्ट की बैठक बुला सकते हैं व साधारण सभा व बोर्ड ऑफ ट्रस्ट द्वारा लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे। संस्थान के उद्देश्यों और लक्ष्यों से सम्बन्धित किसी भी आकस्मिक कार्यों के लिए दस लाख रुपये तक की धनराशि अपने पास रखने का अधिकार होगा।
- (ग) यदि कोई बोर्ड ऑफ ट्रस्ट का पदाधिकारी या सदस्य बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठकों में एवं साधारण सभा की बैठकों में अनुशासनहीनता या ट्रस्ट के विपरीत आचरण करता है एवं अध्यक्ष की नजरों में अपने उत्तराधिकारियों का पालन सही ढंग से नहीं करता है तो उस पदाधिकारियों व सदस्यों को बोर्ड ऑफ ट्रस्ट तथा साधारण सभा से हटाने का (पृथक करने का) विशेष अधिकार प्राप्त होगा। अध्यक्ष महोदय हटाये गये पदाधिकारी या सदस्य के स्थान पर ट्रस्टीयों में से उनके स्थान को भरेगें। इस प्रकार नामित व्यक्ति अपने पद पर उस सदस्य के जिसके स्थान पर वह आया है शेष कार्यकाल के लिए कार्य करेंगे।
- (घ) अध्यक्ष को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था से नगद दान, गिफ्ट, चल-अचल सम्पत्तियों को प्राप्त करने का या बेचने का अधिकार होगा।
- (ङ) ट्रस्ट के अध्यक्ष को उद्देश्यों के अनुसार संचालित कार्यकलापों में तदर्थ आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का विशेष अधिकार होगा।

2) सचिव:-

- (क) अध्यक्ष की आज्ञा से साधारण सभा एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक बुलाने के लिए पत्र व्यवहार करना।
- (ख) बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठकों की कार्यवाही लिखना।
- (ग) ट्रस्ट का रिकार्ड सुरक्षित रखना एवं अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना।
- (घ) ट्रस्ट सम्बन्धी कार्यों के लिए पचास हजार रुपये व्यय करने का अधिकार होगा।
- (ङ) साधारण सभा एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के सभी आदेशों एवं निर्णयों को अधिकारित रूप से प्रेषित

[Handwritten signature]





उज्जयिनी चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट
Secretary
महाराजगढ़

करना।

- (घ) मुख्य ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित समस्त बिल बाउचरों का निरीक्षण कर सत्यापित करना।
- (छ) संस्था के अन्य कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना।
- (ज) अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खाते का संचालन करना।

3) कोषाध्यक्ष:-

- (क) ट्रस्ट का आय-व्यय सम्बन्धी रिकार्ड रखना।
- (ख) प्रतिवर्ष ट्रस्ट का ऑडिट करवाना।
- (ग) ट्रस्ट का लेखा-जोखा प्रतिवर्ष बोर्ड ऑफ ट्रस्ट से पास करवाना।
- (घ) ट्रस्ट सम्बन्धी खर्च के लिए अपने पास बीस हजार रुपये तक रख सकते हैं, इससे अधिक धनराशि बैंक में जमा की जायेगी।
- (ङ) प्रतिवर्ष वार्षिक बजट प्रस्तुत करना होगा।
- (च) ट्रस्ट के धन को बैंक खाते में जमा करना एवं निकलवाना।
- (छ) मुख्य ट्रस्टी अथवा सचिव द्वारा हस्ताक्षरित बिल/बाउचरों का भुगतान करना तथा सभी बिल/बाउचरों को सत्यापित कराना।

8. ट्रस्ट के आय-स्रोत/सम्पत्ति की व्यवस्था:-

ट्रस्ट के आय-स्रोत/सम्पत्ति की व्यवस्था निम्नलिखित रूप से की जायेगी:-

- (क) यहकि ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सरकारी, अर्धसरकारी, व्यक्तियों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों आदि से दान, अनुदान, सहायता, ऋण, चल एवं अचल सम्पत्ति आदि लिया जा सकेगा और अन्य किसी भी उचित व वैधानिक माध्यम से ट्रस्ट की आय बढ़ाया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से दस्तावेज निष्पादित करने के लिए मुख्य ट्रस्टी अधिकृत होंगे।
- (ख) यहकि मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट की तरफ से स्थापित संस्थाओं को संचालित करने के लिए कोई सानग्री भूमि एवं भवन (चल-अचल सम्पत्ति) का क्रय-विक्रय न्यास मण्डल की राय से करेंगे। ट्रस्ट मण्डल ट्रस्ट के चल या अचल सम्पत्तियों का किराये पर दे सकेगा या बेच सकेगा या दान ले सकेगा या दान दे सकेगा या अदला-बदली कर सकता है।
- (ग) ट्रस्ट की प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं पूर्ति के लिए ही प्रयोग की जायेगी तथा भविष्य में ट्रस्ट द्वारा जो भी सम्पत्ति अर्जित की जायेगी उसके बावत ये शर्तें लागू होंगी।
- (घ) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आय हेतु किसी चल या अचल सम्पत्तियों को खरीदना, बेचना, किराये अथवा लीज पर लेन-देन करना। मकान, दुकान व हाल आदि को बनवाकर बेचना, किराये पर देना। लीज अथवा मार्गेज करना, दान देना व लेना आदि का निर्णय संयुक्त रूप से मुख्य ट्रस्टी एवं ट्रस्ट मण्डल लेंगे। जिसका बहुमत होना आवश्यक है।
- (ङ) ट्रस्ट के काम के लिए यदि कोई ट्रस्टी/व्यक्ति बाहर जाता है या ट्रस्ट के कार्य हेतु विदेश जाता है तो उसका सम्पूर्ण खर्चा जैसे- टी0ए0, डी0ए0 आदि ट्रस्ट वहन करेगा।

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

आवेदन सं०: 202300947020584

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 52

वर्ष: 2023

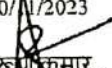
प्रतिफल- 111000 स्टाम्प शुल्क- 4440 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 1110 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 1170

श्रीमती भाग्यश्री चौधरी,
पत्नी श्री पंकज चौधरी
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: धनेवा धनेई स्पोर्ट स्टेडियम के सामने जनपद महाराजगंज




ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30/11/2023 एवं 12:38:19 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


वाइदुल्लाह खॉ प्रभारी
उप निबंधक :सदर
महाराजगंज
30/11/2023

अरुण कुमार .
निबंधक लिपिक
30/11/2023

प्रिंट करें



9. सदस्यता समाप्ति:-

स्वयं त्यागपत्र देना, पागल हो जाने पर, निधन हो जाने पर बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सदस्यता समाप्त किये जाने पर।

10. ट्रस्ट के अभिलेख:-

ट्रस्ट के अभिलेखों को तैयार करना/कराना व रख-रखाव का दायित्व मुख्य ट्रस्टी व सचिव का होगा। प्रमुख रूप से ट्रस्ट के लिए सूचना रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, व लेखा-जोखा रजिस्टर आदि रखा जायेगा।

11. बैठकों से सम्बन्धित नियम :-

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक छः मास में तथा साधारण सभा की बैठक पाँच वर्ष में हुआ करेगी।

(ख) आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष साधारण सभा तथा बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक कभी भी बुला सकते हैं।

(ग) सभी ट्रस्टियों की बैठक को "साधारण सभा" कहा जायेगा।

(घ) साधारण सभा एवं बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की सभी बैठकों में बहुमत के आधार पर कोरम पूरा माना जायेगा।

12. बैंक व्यवस्था :-

ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक, को-ऑपरेटिव बैंक, डाकघर एवं भारत सरकार के किसी भी बैंकिंग सम्बन्धी उपक्रम में खोला जा सकता है। खाता बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक में पास प्रस्ताव के आधार पर खोला जाएगा। खाते का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

13. वित्तीय व्यवस्था :-

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक माना जायेगा। प्रतिवर्ष मान्यता प्राप्त चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा ऑडिट कराया जायेगा।

14. विघटन सम्बन्धी नियम :-

ट्रस्ट की जब कभी भंग होने की स्थिति आ जायेगी तो उस स्थिति में ट्रस्ट के अध्यक्ष साधारण सभा की बैठक बुलाकर उसमें रागी ट्रस्टियों से विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लेंगे। अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और यदि ट्रस्ट भंग करने का निर्णय लिया जाता है तो ट्रस्ट की समस्त चल-अचल सम्पत्ति किसी ऐसे ट्रस्ट को दी जायेगी जिसका उद्देश्य लोकोपकारक होगा।

15. ट्रस्ट की अदालत कार्यवाही :-

(क) ट्रस्ट द्वारा स्थापित व संचालित संस्थाओं व विद्यालयों में प्रबन्धकीय विवाद या अनियमितता की स्थिति उत्पन्न होने पर ट्रस्ट मण्डल का निर्णय मान्य और अन्तिम होगा। यदि किन्हीं परिस्थितियों में ऐसा न हुआ तो विवाद के लम्बित होने तक उसके संचालन के बावत गठित समिति को भंग करके सम्बन्धित संस्था या विद्यालय का प्रबन्ध व्यवस्था एवं सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्ट में निहित हो जायेगी। जिसका संचालन ट्रस्ट मण्डल करेगी।

(ख) ट्रस्ट द्वारा या ट्रस्ट के विरुद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही का संचालन ट्रस्ट के नाम से की





आवेदन सं०: 202300947020584

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 52

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1 

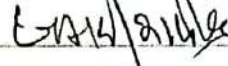
श्रीमती भाग्यश्री चौधरी, पत्नी श्री पंकज चौधरी

निवासी: धनेवा धनेई स्पोर्ट स्टेडियम के सामने जनपद
महाराजगंज

व्यवसाय: गृहिणी



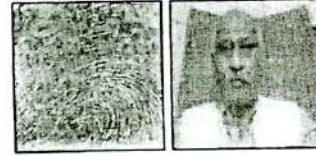
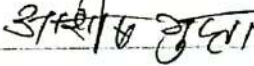
ने निष्पादन स्वीकार किया जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1 

श्री जगदीश मिश्रा, पुत्र श्री कपिलदेव मिश्रा

निवासी: परसोहिया सोहरवलिया खुर्द पो० पुरन्दरपुर जिला
महाराजगंज

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता: 2 

श्री आशीष कुमार गुप्ता, पुत्र श्री सच्चिदानन्द

निवासी: विशुनपुर खुर्द तप्पा कटहरा तहसील सदर जनपद
महाराजगंज

व्यवसाय: वकालत



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वाइदुल्लाह खॉ प्रभारी

उप निबंधक : सदर

महाराजगंज

30/11/2023

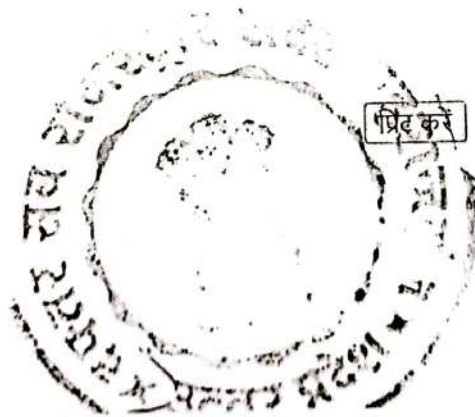
अरूण कुमार

निबंधक लिपिक महाराजगंज

30/11/2023

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।

टिप्पणी:



जायेगी, जिसकी पैरवी ट्रस्ट की ओर से मुख्य ट्रस्टी द्वारा अथवा मुख्य ट्रस्टी के अनुपस्थिति में उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा की जायेगी।

- (ग) यदि ट्रस्ट या उसके अधीन संस्थाओं पर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके निस्तारण का क्षेत्राधिकार केवल महाराजगंज मुख्यालय, उत्तर प्रदेश स्थित न्यायालय में ही होगा।
- (घ) यहकि ट्रस्ट मण्डल की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने या दुरुपयोग करने वाले को दण्डित करने का अधिकार ट्रस्ट मण्डल को होगा। ट्रस्ट व उसके अधीन संस्थाओं एवं समितियों के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध मुख्य ट्रस्टी द्वारा की गयी कार्यवाही की अपील केवल ट्रस्ट मण्डल द्वारा सुनी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धाराओं के अनुसार कार्य करेगा।

साक्षी नं. 1

हस्ताक्षर

नाम:

पता:

साक्षी नं. 2

हस्ताक्षर

नाम:

पता:

महाराजगंज

30.11.2023

ट्रस्ट के संस्थापक के हस्ताक्षर

नाम:

पता:



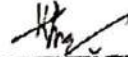
तारीख तहरीर
30.11.2023

महसुदाकर्ता
अजय प्रताप सिंह
(रजि.)
6620/05

आवेदन सं०: 202300947020584

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 32 के पृष्ठ 17 से 34 तक क्रमांक 52 पर
दिनांक 30/11/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


वाइदुल्लाह खॉ प्रभारी
उप निबंधक : सदर
महाराजगंज
30/11/2023

प्रिंट करें



 भारत सरकार
Government of India



भाग्यश्री चौधरी
Bhagyashree Choudhary
जन्म तिथि / DOB : 01/03/1969
महिला / Female



8827 6093 4006

आधार - आम आदमी का अधिकार

 भारतीय विधि एवं पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
अर्धांगिनी: पंकज चौधरी,
धनेवा-धानाई, महाराजगंज,
महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, 273303

Address:
W/O: Pankaj Choudhary,
Dhanewa-Dhanai, Maharajganj,
Maharajganj, Uttar Pradesh,
273303

8827 6093 4006



 1947
1800 300 1947

 help@uidai.gov.in

 www.uidai.gov.in

Shree Choudhary

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

जनकौशल मिश्रा
Jankesh Mishra
जन्म तिथि DOB: 01/01/1993
पुल्ल/MALE

3821 4509 2921
VID: 9111 3713 3979 9595

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय रिजिस्ट्रार जनरल प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
श्री. कपिलेश मिश्रा, ग्राम परसोथा, सोहनवाड़ा खूद,
पुल्ल पंचसाल, सोहनवाड़ा खूद, महाराष्ट्र,
पिन कोड - 273162

Address:
C.O. Kapildev Mishra, Gram Parsotya
Sohanwala Khurd, Post Punandapur,
Sohanwala Khurd, Maharashtra,
Uttar Pradesh - 273162

3821 4509 2921
VID: 9111 3713 3979 9595

1047 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कपिलेश मिश्रा

महाराष्ट्र
सचिव
जनकौशल मिश्रा


भारत सरकार
Government of India



आशीष कुमार गुप्ता
Ashish Kumar Gupta
पिता : सचिदानंद
Father : Sachidanand
जन्म तिथि / DOB : 16/08/1992
पुरुष / Male



3787 9593 6236

मेरा आधार, मेरी पहचान


अद्वितीय पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O सचिदानन्द, विशुनपुर खर्द,
पिपराजदुद, महाराजगंज, जददुपिपरा,
उत्तर प्रदेश, 273301

Address:
S/O Sachchidanand, vishunpur
khurd, Piparajaddu, Maharajganj,
Jaddupipra, Uttar Pradesh,
273301

3787 9593 6236


1947


help@uidai.gov.in


www.uidai.gov.in

आशीष गुप्ता

